

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण लम्बे समय से बहस में चल रहा है और प्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो एकपक्षीय बहस सुनी जावें। प्रकरण बहस में चल रहा है और प्रार्थी पक्ष को बहस करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, लेकिन प्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय बहस सुनी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। विप्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, दौराने बहस तर्क दिये कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है, क्योंकि विप्रार्थी की ओर से कृषि भूमि का कभी भी अकृषिक कार्य नहीं किया गया है, तहसीलदार पचपदरा की सर्वेयर रिपोर्ट की सूची में विप्रार्थी का नाम नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मौके पर विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है। जबकि विप्रार्थी की ओर से नियमानुसार विवादित भूमि की किस्म परिवर्तन करवाने के लिए नगरपरिषद बालोतारा में भूमि सम्परिवर्तन करने की पत्रावली पेश की गई, जो पत्रावली संख्या 328/2021 पर इन्द्राज की गई और नियमानुसार विप्रार्थी की ओर से सम्परिवर्तन राशि जमा करवा दी गई और बाद मौका निरीक्षण करतें हुए आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के पत्र क्रमांक/भूमि/न.प.बा./2021/9226 दिनांक 14.10.2021 के जरिये प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 12.11.2021 को पारित किये गये और उक्त आदेश के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तकरण भी भरा गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है, जो सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि विप्रार्थी द्वारा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अलावा इसके विप्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा</p>	


करवाकर अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवाया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा भाम्रक तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है, जो सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

हमने बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर इस्तदुआ चाही गई कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1268/23 रकबा 1-09 बीघा में से 3500 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना भूमि संपरिवर्तन करवायें अकृषि कार्य में उपयोग लिये जाने के कारण विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त की जाकर राज.सरकार खातेदारी इन्द्राज की जावें। तहसीलदार पचपदरा की ओर से उक्त आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2021 को पेश किया। जबकि विप्रार्थी की ओर से विवादित भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु नगरपरिषद बालोतरा में पत्रावली दिनांक 14.10.2021 को प्रस्तुत कर दी गई थी और बाद जांच प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बालोतरा द्वारा 90 A RLR ACT के तहत प्रश्नगत भूमि के आदेश दिनांक 12.11.2021 को पारित कर दिये थे, और उक्त आदेश के आधार पर प्रश्नगत भूमि नगर परिषद बालोतरा के नाम इन्द्राज हुई। उक्त तथ्यों को स्वयं तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है, कि प्रश्नगत भूमि की 90 ए के तहत कार्यवाही हो रखी है। जब प्रश्नगत कृषि भूमि का अकृषिक कार्य हेतु 90, ए के तहत कार्यवाही हो चुकी थी, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। विप्रार्थी नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

19.12.2022